



जनपद हमीरपुर

थाना-सुमेरपुर

दिनांक -24.05.2026

थाना सुमेरपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 167/2026 धारा 127(2)/115(2)/352/351(3) बीएनएस व 3(1)द/3(1)ध/3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट से संबंधित 02 वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर विधिक कार्यवाही के संबंध में-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक 19.05.2026 को वादी संदीप कुमार पुत्र बाबू राम ग्राम टेढ़ा थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर द्वारा उपस्थित थाना आकर तहरीर देते हुए बताया गया कि मुन्नू उर्फ बउआ सिंह गौर उसे घर से यह कहकर बुलाकर ले गया कि उसकी अल्टो कार स्टार्ट नहीं हो रही है। रास्ते में गाड़ी रोककर मुन्नू उर्फ बउआ सिंह, कन्हैया पुत्र रज्जन सिंह एवं उसके 02 अन्य साथियों द्वारा बेल्ट, लाठी-डंडों से उसके साथ मारपीट की गई।

वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सुमेरपुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 167/2026 धारा 127(2)/115(2)/352/351(3) बीएनएस व 3(1)द/3(1)ध/3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट बनाम 1.जगजोधन उर्फ मुन्नू बउआ पुत्र रज्जन सिंह 2. कन्हैया पुत्र रज्जन सिंह निवासीगण ग्राम टेढ़ा थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।

पुलिस कार्यवाही-

थाना सुमेरपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित 02 अभियुक्त 1.जगजोधन उर्फ मुन्नू बउआ पुत्र रज्जन सिंह 2. कन्हैया पुत्र रज्जन सिंह निवासीगण ग्राम टेढ़ा थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर को ग्राम टेढ़ा से गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्तगण का विवरण-

- 1.जगजोधन उर्फ मुन्नू बउआ पुत्र रज्जन सिंह
2. कन्हैया पुत्र रज्जन सिंह निवासीगण ग्राम टेढ़ा थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.प्र0नि0 योगेश तिवारी
- 2.उ0नि0 भानू प्रताप सिंह
- 3.का0 सुरेन्द्र कुमार

